



कार्यालय- प्रभागीय प्रबन्धक खनन रामनगर
उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग-रामनगर(नैनीताल)।
e-mail : prabharikhanan37@gmail.com PH:- 05947-254537

व्हाट्सएप/ई-मेल द्वारा

पत्रांक- 2350

/ कोसी नदी पुर्नप्रस्ताव/

दिनांक- 01 फरवरी 2023।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग,
रामनगर (नैनीताल)।

विषय- जनपद नैनीताल में तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली कोसी नदी (भाग-1) के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में आपत्ति के सम्बन्ध में।
FP/UK/MIN/147885/2021.

सन्दर्भ:- वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की पत्र सं.0-File No-8-61/1999-FC(Pt.VI) दिनांक 31 जनवरी 2023।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, का पत्रांक-File No-8-61/1999-FC(Pt.VI) दिनांक 31 जनवरी 2023 द्वारा जनपद नैनीताल में तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली कोसी नदी (भाग-1) के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निस्तारण कर सूचना मय संलग्नक आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि तदनुसार परिवेश पोर्टल में उक्त सूचनाओं को अपलोड करने की कृपा करेंगे।

संलग्न-यथोपरि।


भवदीय,


(धिरेश चन्द्र बिष्ट)
प्रभागीय प्रबन्धक खनन
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक 2350 / कोसी नदी पुर्नप्रस्ताव / उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित की सेवा में मय संलग्न सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ० वन विकास निगम, देहरादून।
2. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार-देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्द्रानगर देहरादून।
4. महा प्रबन्धक (कु०मण्डल), उ० वन विकास निगम, हल्द्वानी(नैनीताल)।
5. वन संरक्षक, (पश्चिमी वृत्त), उत्तराखण्ड हल्द्वानी।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक (प०क्षे०), उ० वन विकास निगम, रामनगर (नैनीताल)।


(धिरेश चन्द्र बिष्ट)
प्रभागीय प्रबन्धक खनन
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
रामनगर (नैनीताल)।

वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की पत्र संख्या-8-61/1999-F.C(pt.VI)
दिनांक-31 जनवरी 2023 द्वारा लगाई गई आपत्तियों का प्रतिउत्तर।

KOSI River proposal no-FP/UK/MINNING/147885/2021

क्रं सं०	आपत्ति	प्रतिउत्तर
i	<p>The State Govt. has now submitted the mining plan approved by the Department of Mining and Geology Govt. of Uttarakhand. The said mining plan approved for next 5 year contains a letter No. 2170/VII-A-I/2021/21(ख)13 dated 30.12.2022 issued by the Government of Uttarakhand wherein the conditions no. 13 stipulates that the User Agency will carry out mining after leaving 15% area on each bank of the river. Whereas, the condition at sr. no (xi) of the approval dated 15.02.2013 stipulates that extraction of minor minerals shall be restricted to the to the middle half of the width of the river bed after leaving intact one fourth of the width of the river bed along its each bank. The said condition which is contrary to the conditions of stage-II approval need attention of the State Government and clarification may accordingly be submitted.</p>	<p>उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 देहरादून के शासनादेश संख्या-134/VII-A-1/2023/21ख/2013 दिनांक 30 जनवरी 2023 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि शासनादेश 2170/VII-A-1/2021/13 दिनांक-30 दिसम्बर 2021 की शर्त/प्रतिबंध संख्या-13 में टंकण त्रुटिवश 25% के स्थान पर 15% अंकित हो गया है जिस 15% के स्थान पर 25% के रूप में संशोधित किया जाता है तदनुसार भविष्य में इसे 15% के स्थान पर 25% पड़ा और समझा जाय। शासनादेश में यह भी उल्लेख है कि संगत शासनादेश दि०-30 दिसम्बर 2021 में किया गया संशोधन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष शर्त/प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगे। शासनादेश की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)</p>
ii	<p>Fresh DSR has not be submitted by the State till date. In the reply of the Ministry observation's dated 30.12.2022 at S. no (iii), the State has informed that the Department of Mining Government of Uttarakhand vide letter dated पत्र सं०-870/भू०खनि०ई०/खनन ई-रवन्ना /2022-23 दिनांक 30.12.2022 has informed that the DSR For the District of Nainital has not been prepared after 2018 and this report is applicable for the present period. After the examination of the letter of Department of Mining Government of Uttarakhand vide सं०-870/भू०खनि०ई०/खनन ई-रवन्ना /2022-23 दिनांक 30.12.2022 it is found that the Mining Department has only said that the DSR For the District has not be prepared after 2018, Whether it is applicable or not for the present period it has not been informed by them. The same may be Clarified and a Fresh DSR may be submitted.</p>	<p>नवीन District Survey Report (DSR) के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून की पत्र सं०-4840/पर्यावरण अनापत्ति दि०-25 जनवरी 2023 द्वारा मांग की गई थी, के सन्दर्भ में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं०-4370/दिनांक-25 जनवरी 2023 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि, District Survey Report वर्ष 2018 में तैयार की गई थी जो की वर्तमान में भी लागू है। वर्ष 2022-23 हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को पुनः आवेदन किया जा रहा है। (संलग्नक-2)</p>

iii	All the parameters in the Handbook of guidelines dated 28.03.2019 have still not been included in the Cost Benefit analysis, which is required to be done.	गाईड लाईन दि०-28.03.2019 से अनुसार Cost benefit analysis संशोधित कर पुनः प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-3)
4.	The State Government shall however immediately submit the reply to the observations as contained above in Para 2 of the letter along with the latest point wise status of compliance of the conditions stipulated in the S-II approval dated 15.02.2013 so that the proposal for renewal of validity of forest clearance can be placed before the FAC for consideration.	वन स्वीकृति की अनुपालन आख्या संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-4)



(Divisional Manager)
UKFDC, Ramnagar.
Nainital (Uttarakhand)